

ON EMBARGO TILL 18 MARCH 2026, 10:30 AM

IJR ने जारी की उपभोक्ता शिकायत निवारण पर भारत की पहली राष्ट्रव्यापी रिपोर्ट

बड़े राज्यों में आंध्र प्रदेश और छोटे राज्यों में मेघालय पहले स्थान पर रहे।

उपभोक्ताओं की सबसे अधिक शिकायतें बीमा, आवास और बैंकिंग क्षेत्र से सामने आईं।

राज्य आयोगों में 35% मामले तीन साल से अधिक समय से लंबित हैं।*

2025 में राज्य आयोगों में अध्यक्ष और सदस्यों के आधे से अधिक पद खाली थे।

कुछ उत्साहजनक रुझानः

- 20 में से 10 राज्य आयोगों में सभी पांच वर्षों (2021-2025) के दौरान अध्यक्ष पद पर नियुक्ति रही।
- 19 में से 16 राज्य आयोगों ने अध्यक्ष या सदस्यों के पद पर एक महिला होने संबंधी कानूनी प्रावधान का अनुपालन किया।
- 21 राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों (SCDRCs) में 2021-22 से 2024-25 के बीच बजट आवंटन 52% बढ़कर 201.9 करोड़ रुपए हो गया।

सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रः

- 2025 में देश भर के 775 जिलों के लिए केवल 685 जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग उपलब्ध थे।
- RTI से मिली जानकारी के मुताबिक, 22 राज्य आयोगों ने 2022 से मार्च 2025 तक लोक अदालतों को केवल 3,216 मामले भेजे।
- 2020 और 2024 के बीच, सभी 35 राज्य और 685 जिला आयोगों में दायर 7.6 लाख मामलों में से 11% लंबित थे।
- SCDRCs में 2021 से 2025 के बीच कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या 208 से बढ़कर 215 हो गई, लेकिन महिला कर्मचारियों की संख्या 48 पर स्थिर रही।

नई दिल्ली, 18 मार्च: इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (IJR) के अपनी तरह के पहले अध्ययन के निष्कर्षों के मुताबिक भारत के उपभोक्ता आयोगों में लंबित मामले और रिक्तियां उपभोक्ता न्याय सुनिश्चित करने की राह की मुख्य बाधाएं हैं। 'कंज्यूमर जस्टिस रिपोर्ट 2026: भारत के उपभोक्ता आयोगों की क्षमता का आकलन' नाम से जारी रिपोर्ट में यह पाया गया है कि 2025 में राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों (SCDRCs) में अध्यक्ष और सदस्य के आधे-से-अधिक पद खाली थे। जानकारी साझा करने वाले 19 राज्य आयोगों में दायर मामलों में से एक-तिहाई से अधिक तीन साल से अधिक समय से लंबित थे। उपभोक्ताओं की आयोग तक आसान पहुंच के लिए अतिरिक्त बेंच बनाने के प्रावधान के बावजूद, केवल सात राज्यों ने ऐसी बेंच स्थापित की हैं।

यह रिपोर्ट मुख्य रूप से RTI आवेदनों के ज़रिए प्राप्त जानकारी और संसदीय उत्तरों के रूप में उपलब्ध सार्वजनिक आंकड़ों व तथ्यों पर आधारित है। इस अध्ययन का मकसद यह आकलन करना है कि 'उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019' के तहत वैधानिक दायित्वों को पूरा करने में उपभोक्ता आयोग कितने सक्षम हैं।

*19 SCDRCs द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़े, सूची संलग्न.

इस अध्ययन में बजट, बुनियादी ढांचे, मानव संसाधन, कार्यभार और लैंगिक विविधता जैसे पैमानों से संबंधित 11 मापदंडों के आधार पर राज्यों की रैंकिंग तैयार की गई है।

राज्यों की रैंकिंग इस प्रकार रही:

19 बड़े और मध्यम आकार के राज्य:

राज्य	कंज्यूमर जस्टिस रैंकिंग
आंध्र प्रदेश	1
मध्य प्रदेश	2
राजस्थान	3
कर्नाटक	4
पश्चिम बंगाल	5
हरियाणा	6
तमिलनाडु	7
असम	8
उत्तराखंड	9
उत्तर प्रदेश	10
महाराष्ट्र	11
केरल	12
बिहार	13
गुजरात	14
पंजाब	15
ओडिशा	16
छत्तीसगढ़	17
झारखंड	18
तेलंगाना	19

9 छोटे राज्य:

राज्य	कंज्यूमर जस्टिस रैंकिंग
मेघालय	1
सिक्किम	2
हिमाचल प्रदेश	3
गोवा	4
नगालैंड	5
मिज़ोरम	6
त्रिपुरा	7
अरुणाचल प्रदेश	8
मणिपुर	9

भारत के 19 बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है, जबकि नौ छोटे राज्यों में पहले दो स्थानों पर मेघालय और सिक्किम रहे। 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) को आबादी के आधार पर दो समूहों में बांटा गया है (तीसरा समूह सात केंद्र शासित प्रदेशों का है, जिन्हें रैंकिंग नहीं दी गई है)।

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने रिपोर्ट जारी करते हुए कहा, "अगर कानून लागू ही न किया जाए तो संसद जिस मकसद से कानून बनाती है, वह अधूरा रह जाता है। यह उम्मीद थी कि 'उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019' से देश के उपभोक्ताओं को और ज्यादा संरक्षण मिलेगा। लेकिन यह चिंताजनक है कि राज्य आयोगों में अध्यक्ष और सदस्यों के आधे से अधिक पद खाली हैं और सभी जिलों में आयोगों का गठन नहीं हुआ है। कई अदालती आदेशों के बावजूद यह स्थिति बनी हुई है और मेरे कार्यकाल के दौरान भी उपभोक्ता आयोगों की कम क्षमता का स्वतः संज्ञान लिया गया था। ये गंभीर कमियां उपभोक्ता संरक्षण के संस्थागत ढांचे को नुकसान पहुंचाती हैं और शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी निपटारे की राह में

बाधाएं खड़ी करती हैं। साथ ही, इससे उपभोक्ताओं का यह भरोसा भी टूटता है कि उपभोक्ता आयोगों में उनकी शिकायतों का निपटारा होगा।”

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट की संपादक माया दारूवाला ने कहा, “2019 का उपभोक्ता संरक्षण कानून भारत और वैश्विक स्तर पर बदलते बाजार की जटिलताओं को दूर करने के लिए बनाया गया है। हालांकि, पिछले कानून की तुलना में यह ज्यादा प्रभावी है और इसमें नए प्रावधान भी शामिल किए गए हैं, लेकिन सबसे प्रगतिशील कानून भी मजबूत संस्थागत तंत्र पर निर्भर करते हैं। RTI से प्राप्त आंकड़े आयोगों के नेतृत्वकारी पदों पर नियुक्ति में उपेक्षा को सामने लाते हैं, जिससे उपभोक्ता संरक्षण कानून का मकसद अधूरा रह जाता है और शिकायतों का प्रभावी निपटारा नहीं होता है। हमने यह भी पाया है कि उपभोक्ता आयोगों में लैंगिक विविधता संबंधी प्रावधानों का केवल अनुपालन होता है, मामले लंबित हैं और बहुत कम मामलों को मध्यस्थता के लिए भेजा जाता है। आखिरकार, इन सबसे उपभोक्ताओं को संस्थागत समाधान उपलब्ध कराने का वादा कमजोर होता है।”

राज्य रैंकिंग पर करीब से नज़र डालने से यह सामने आता है कि विभिन्न उपभोक्ता आयोगों की क्षमता अलग-अलग है और वैधानिक दायित्वों को पूरा करने संबंधी उनके कार्य अपर्याप्त हैं। आंध्र प्रदेश के विश्लेषण से पता चलता है कि राज्य ने SCDRC कर्मचारियों के खाली पदों को भरा और बजट आवंटन का उपयोग भी किया, लेकिन इसने 2025 में SCDRC अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं की। तीन साल से अधिक समय से लंबित मामलों की सबसे कम संख्या (4.9%) आंध्र प्रदेश में थी, जबकि 12वें स्थान पर मौजूद केरल के राज्य आयोग में ऐसे मामले 80% थे।

51 राजधानियों में DCDRCs का प्रदर्शन

पांच महानगरों- मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु सहित अलग-अलग राज्यों की राजधानियों में स्थित 51 DCDRC से RTI के ज़रिए प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण दिखाता है कि केवल कोलकाता के चार DCDRC ने महिला प्रतिनिधित्व संबंधी कानूनी प्रावधान का पालन किया। इस प्रावधान के मुताबिक प्रत्येक आयोग के अध्यक्ष और दो सदस्यों में एक महिला अवश्य होनी चाहिए। बेंगलुरु¹ के तीन DCDRC में केस निपटान दर 2022 से 2024 के बीच 96% से घटकर 50% हो गई। 2021 और 2025 के बीच, गांधीनगर और श्रीनगर के DCDRCs में कोई अध्यक्ष नहीं था और इन 5 वर्षों के दौरान केवल तिरुवनंतपुरम DCDRC में अध्यक्ष, सदस्यों और कर्मचारियों के सभी पद भरे हुए थे।

भारत में उपभोक्ता आयोगों के प्रदर्शन का डैशबोर्ड

IJR ने 2010 और 2024 के बीच दायर 28.6 लाख उपभोक्ता केसों का विश्लेषण किया है। इनमें से राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) में दायर 2.7 लाख मामलों में से 45% आवास क्षेत्र से संबंधित थे। सभी 35 SCDRCs में दायर 4.3 लाख मामलों में से आधे से अधिक मामले बीमा (25.1%), आवास (18.7%) और बैंकिंग (8.7%) क्षेत्रों से संबंधित थे। ज़िला आयोगों में हर चौथी शिकायत बीमा मामले से जुड़ी थी। NCDRC को उन शिकायतों पर सुनवाई करने का अधिकार है जहां भुगतान किए गए सामान या सेवाओं की कीमत 2 करोड़ रुपए से अधिक न हो। साथ ही, यहां राज्य आयोगों के फैसलों के खिलाफ भी अपील की जाती है। NCDRC में 271,000 से अधिक मामले दायर किए गए और इस अवधि में 79,000 मामले लंबित रहे। इस दौरान NCDRC ने औसतन 448 दिन और सात सुनवाईयों में एक मामले का निपटारा किया। यह डैशबोर्ड इस लिंक पर देखा जा सकता है: <https://ccdash.indiajusticereport.org/>

पिछले दस वर्षों में महिला ग्राहकों की संख्या बहुत बढ़ी है। इसके बावजूद, उपभोक्ता आयोगों में लैंगिक विविधता की कमी चिंता का विषय है। विशेष रूप से SCDRC और DCDRC के अध्यक्ष पदों पर इनकी संख्या लगभग नगण्य है। पिछले पांच वर्षों में केवल तीन SCDRC में महिला अध्यक्ष कार्यरत थीं।

जस्टिस (रिटायर्ड) मदन बी. लोकर ने कहा, "उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम एक लोक परोपकारी कानून है जिसके केंद्र में आम उपभोक्ता है। रिपोर्ट स्पष्ट रूप से दिखाती है कि यह प्रणाली न्यूनतम मानव संसाधनों के सहारे काम कर रही है। राज्य आयोगों में 40% तक रिक्तियां हैं। तीन में से एक केस तीन साल से अधिक समय से लंबित है। अब समय आ गया है कि सरकारी तंत्र यह महसूस करें कि उपभोक्ता निवारण तंत्र में विश्वास की कमी से उपभोग और आर्थिक विकास गंभीर रूप से प्रभावित होता है। उपभोक्ता संरक्षण कानून लागू होने के चालीस साल बाद भी स्थिति बेहद चिंताजनक है। ऐसे में यह सवाल उठता है कि क्या ये आयोग वास्तव में शिकायत निवारण निकाय हैं?"

ज्यादा विवरण के लिए, कृपया संपर्क करें:

वलय सिंह
इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (indiajusticereport.org)
ई-मेल: valaysingh@gmail.com
मोबाइल: 9717676026

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के बारे में

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट (IJR) विभिन्न राज्यों की औपचारिक न्याय व्यवस्था की क्षमता को रैंक करने वाला गणनात्मक सूचकांक है। इसके लिए यह सरकार के आधिकारिक आंकड़ों का उपयोग करता है। यह दक्ष, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनीशिएटिव (CHRI), कॉमन कॉज़, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी और TISS-प्रयास के सहयोग से किया गया एक साझा प्रयास है।

पहली बार 2019 में प्रकाशित हुई और दो साल में आने वाली IJR हर राज्य की संरचनात्मक और वित्तीय क्षमता में सुधार और स्थायी कमी का पता लगाती है। सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की न्याय प्रदान करने की क्षमता का आकलन उनकी पुलिस, न्यायपालिका, जेल, कानूनी सहायता और मानवाधिकार आयोगों के बजट, मानव संसाधन, बुनियादी ढांचा, कार्यभार और विविधता जैसे मात्रात्मक मापदंडों पर किया जाता है।

राष्ट्रीय निष्कर्ष

रिक्तियां

राज्य आयोग:

अध्यक्ष (2025):	50% पद खाली रहे। कुल 35 राज्य आयोगों में से केवल 18 में ही अध्यक्ष थे। ²
2021 - 2025:	गोवा और झारखंड में इन पांचों वर्षों के दौरान कोई अध्यक्ष नहीं था। केवल 10 राज्यों (दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल) में इस अवधि के दौरान अध्यक्ष रहे। ³
सदस्य (2025):	40% पद खाली रहे। 35 राज्य आयोगों के कुल 159 पदों में से केवल 95 पर ही नियुक्ति हुई। ⁴
2021 - 2025:	17 राज्य आयोगों में सदस्यों की रिक्तियां 2021 में 25% थीं, जो 2025 तक बढ़कर 40% हो गईं। ⁵
कर्मचारी (2025):	20 राज्य आयोगों में कुल मिलाकर 20% कर्मचारियों की कमी थी। इनके यहां 734 पदों में से 585 पद भरे रहे। ⁶
जिला आयोग:	
अध्यक्ष (2025):	32% पद खाली रहे। DCDRC अध्यक्षों के कुल 646 पदों में से 439 पद ही भरे गए। ⁷
सदस्य (2025):	39% पद खाली रहे। सदस्यों के कुल 1384 पदों में से केवल 849 पर नियुक्ति हुई। ⁸

लैंगिक विविधता

राज्य आयोग:

महिला अध्यक्ष (2024):	19 राज्य आयोगों ने आंकड़े उपलब्ध कराए; इनमें से केवल दिल्ली और सिक्किम में महिला अध्यक्ष थीं। ⁹
महिला सदस्य (2024):	19 राज्य आयोगों ने आंकड़े उपलब्ध कराए; इन राज्यों के कुल 56 सदस्यों में से 32% महिलाएं थीं। ¹⁰
महिला कर्मचारी (2024):	19 राज्य आयोगों ने आंकड़े उपलब्ध कराए; इन राज्यों के कुल 482 कर्मचारियों में 26% महिलाएं थीं। ¹¹

बजट

राज्य आयोग :

उपयोग (2024-25):	20 SCDRCs ने आंकड़े प्रदान किए; कुल 225.5 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए और 85% का उपयोग किया गया। कर्नाटक के राज्य आयोग को सबसे अधिक (53.7 करोड़) आवंटन प्राप्त हुआ। ¹²
आवंटन (2020-21 से 2024-25):	21 SCDRCs ने आंकड़े प्रदान किए; चार वर्षों में कुल 686 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। इस अवधि के दौरान वर्ष-वार आवंटन में 50% की वृद्धि हुई। ¹³

²Figure 4, pg. 30, 'Consumer Justice Report 2026: Assessing Capacity of Redressal Commissions in India' (India Justice Report, March 2026).

³Figure 5, pg. 32, 'Consumer Justice Report 2026: Assessing Capacity of Redressal Commissions in India' (India Justice Report, March 2026).

⁴Figure 4, pg. 30, 'Consumer Justice Report 2026: Assessing Capacity of Redressal Commissions in India' (India Justice Report, March 2026).

⁵Figure 6, pg. 33, 'Consumer Justice Report 2026: Assessing Capacity of Redressal Commissions in India' (India Justice Report, March 2026).

⁶Figure 10, pg. 39, 'Consumer Justice Report 2026: Assessing Capacity of Redressal Commissions in India' (India Justice Report, March 2026).

⁷Figure 23, pg. 55, 'Consumer Justice Report 2026: Assessing Capacity of Redressal Commissions in India' (India Justice Report, March 2026).

⁸Figure 23, pg. 55, 'Consumer Justice Report 2026: Assessing Capacity of Redressal Commissions in India' (India Justice Report, March 2026).

⁹Figure 7, pg. 34, 'Consumer Justice Report 2026: Assessing Capacity of Redressal Commissions in India' (India Justice Report, March 2026).

¹⁰Figure 7, pg. 34, 'Consumer Justice Report 2026: Assessing Capacity of Redressal Commissions in India' (India Justice Report, March 2026).

¹¹Figure 12, pg. 42, 'Consumer Justice Report 2026: Assessing Capacity of Redressal Commissions in India' (India Justice Report, March 2026).

¹²Figure 20, pg. 52, 'Consumer Justice Report 2026: Assessing Capacity of Redressal Commissions in India' (India Justice Report, March 2026).

¹³Figure 21, pg. 53 'Consumer Justice Report 2026: Assessing Capacity of Redressal Commissions in India' (India Justice Report, March 2026).

कार्यभार

देशभर के सभी राज्य और जिला आयोग:

केस निपटान दर (2020-2024):

35 SCDRCs और 685 DCDRCs में दायर कुल 7.6 लाख मामलों में से 88.6% का निपटान किया गया।¹⁴

100% से अधिक दर (2020-2024):

पिछले 5 वर्षों के दौरान दिल्ली, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक सहित 12 राज्यों द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या वहां दायर मामलों की संख्या से अधिक रही।¹⁵

महाराष्ट्र में सबसे अधिक मामले (91,449) दायर हुए, लेकिन बड़े और मध्यम आकार के राज्यों में इसकी निपटान दर (64.5%) सबसे कम रही; जबकि तमिलनाडु में 25,825 मामले दायर हुए और इसने 114.6% की उच्चतम CCR दर्ज की।¹⁶

लंबित केस (2020-2024):

इस अवधि के दौरान लंबित मामलों की कुल संख्या में 21% की वृद्धि हुई, जो 4.27 लाख से बढ़कर 5 लाख से अधिक हो गई।¹⁷

अत्यंत विलंबित केस (2025):

19 SCDRCs में औसतन 35% केस 3 साल से अधिक समय से लंबित थे। जबकि CPA 2019 के प्रावधानों के मुताबिक केसों का 5 महीने के भीतर निपटारा ज़रूरी है।¹⁸

बनियादी ढांचा

मौजूद ज़िला आयोग (2025):

DCDRCs/जिलों की संख्या:

775 ज़िलों के मुकाबले 685 DCDRCs हैं। CPA 2019 में प्रत्येक ज़िले में एक आयोग गठित करने का प्रावधान है।¹⁹

अध्यक्षों के स्वीकृत पद/DCDRCs:

685 DCDRCs के लिए DCDRC अध्यक्ष के केवल 646 पद स्वीकृत किए गए हैं।²⁰

¹⁴Figure 14, pg. 44, 'Consumer Justice Report 2026: Assessing Capacity of Redressal Commissions in India' (India Justice Report, March 2026).

¹⁵Figure 14, pg. 44, 'Consumer Justice Report 2026: Assessing Capacity of Redressal Commissions in India' (India Justice Report, March 2026).

¹⁶Figure 14, pg. 44, 'Consumer Justice Report 2026: Assessing Capacity of Redressal Commissions in India' (India Justice Report, March 2026).

¹⁷Finding 12, pg. 46, 'Consumer Justice Report 2026: Assessing Capacity of Redressal Commissions in India' (India Justice Report, March 2026).

¹⁸Figure 17, pg. 47, 'Consumer Justice Report 2026: Assessing Capacity of Redressal Commissions in India' (India Justice Report, March 2026).

¹⁹Figure 23, pg. 55, 'Consumer Justice Report 2026: Assessing Capacity of Redressal Commissions in India' (India Justice Report, March 2026).

²⁰Figure 23, pg. 55, 'Consumer Justice Report 2026: Assessing Capacity of Redressal Commissions in India' (India Justice Report, March 2026).

अनुलग्नक I: कंज्यूमर जस्टिस रैंकिंग के मापदंड

क्रम संख्या	रैंकिंग मापदंड	मूल्यांकित आयोग	स्रोत	समयावधि
1	अध्यक्ष वैकेंसी	राज्य आयोग	लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5127, 02.04.2025 को उत्तर दिया गया	2025
2	सदस्य वैकेंसी	राज्य आयोग	लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5127, 02.04.2025 को उत्तर दिया गया	2025
3	अध्यक्ष वैकेंसी	ज़िला आयोग	लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5127, 02.04.2025 को उत्तर दिया गया	2025
4	सदस्य वैकेंसी	ज़िला आयोग	लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 5127, 02.04.2025 को उत्तर दिया गया	2025
5	स्टाफ़ वैकेंसी	राज्य आयोग	RTI	2025
6	अध्यक्ष और सदस्यों में महिलाएं	राज्य आयोग	RTI	2024
7	स्टाफ़ में महिलाएं	राज्य आयोग	RTI	2024
8	केस निपटान दर	राज्य और ज़िला आयोग	लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4320, 26.03.2025 को उत्तर दिया गया	2020 to 2024
9	तीन वर्ष से अधिक समय से लंबित केस (%)	राज्य आयोग	RTI	2025
10	ज़िलों की तुलना में ज़िला आयोगों का प्रतिशत	ज़िला आयोग	लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4320, 26.03.2025 को उत्तर दिया गया	2025
11	बजट उपयोग	राज्य आयोग	RTI	वित्तीय वर्ष 2024-25

अनुलग्नक II:

राज्य आयोग	समूह	2025 में वर्ष से पुराने केसों का %	3 वर्ष से कम केस	1 से 3 वर्ष से लंबित केस	3 वर्ष से अधिक समय से लंबित केस	
1	केरल	बड़े और मध्यम	79.2%	452	610	4047
2	जम्मू और कश्मीर	केंद्र शासित प्रदेश	70.8%	180	311	1190
3	झारखंड	बड़े और मध्यम	70.8%	11	217	552
4	उत्तर प्रदेश	बड़े और मध्यम	61.8%	542	5107	9122
5	उत्तराखंड	बड़े और मध्यम	56.8%	28	368	521
6	असम	बड़े और मध्यम	47.2%	54	134	168
7	मध्य प्रदेश	बड़े और मध्यम	41.0%	738	3498	2942

8	हरियाणा	बड़े और मध्यम	35.6%	1703	2679	2427
9	लक्षद्वीप	केंद्र शासित प्रदेश	33.3%	1	1	1
10	गोवा	छोटे राज्य	31.3%	41	60	46
11	कर्नाटक	बड़े और मध्यम	27.9%	3301	4054	2852
12	अं-नि. द्वीपसमूह	केंद्र शासित प्रदेश	26.7%	6	5	4
13	नगालैंड	छोटे राज्य	25.0%	3	0	1
14	पुडुचेरी	केंद्र शासित प्रदेश	21.4%	3	8	3
15	मेघालय	छोटे राज्य	12.5%	4	3	1
16	राजस्थान	बड़े और मध्यम	11.3%	1221	1697	370
17	हिमाचल प्रदेश	छोटे राज्य	9.0%	312	256	56
18	सिक्किम	छोटे राज्य	7.1%	17	9	2
19	आंध्र प्रदेश	बड़े और मध्यम	4.8%	1031	592	81